



भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग
विकास आयुक्त का कार्यालय
नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र
नौएडा दादरी रोड, फेज-II, नौएडा - 201305
टेलीफोन: 0120-2567268/69/70

ईमेल: dc@nsez.gov.in, वेबसाइट: www.nsez.gov.in



दिनांक:...../03/2025

सेवा मे,

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर - 6, नौएडा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नई दिल्ली।
3. प्रधान आयकर आयुक्त, आयकर भवन, प्लॉट सं.- ए-2डी, सेक्टर 24, नौएडा।
4. आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201306.
5. निदेशक, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली -110001
6. उप सचिव (आई एफ-1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नई दिल्ली।
7. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नौएडा।

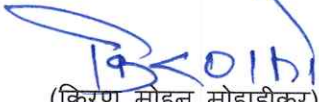
विषय: दिनांक 24/02/2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने और श्री ए. बिपिन मेनन, विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता में दिनांक 24/02/2025 को पूर्वाह्न 10:30 बजे आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

संलग्नक: उपरोक्त

भवदीय,


(किरण मोहन मोहाडीकर)
उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ।
2. वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र के सूचनार्थ
3. विनिर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
4. सचिव, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।
5. कार्यपालक अभियंता, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड, इ.यु.डी.डी.-II, सेक्टर - 18, नौएडा।
6. उप आयुक्त, व्यापार कर, खण्ड-14, सेक्टर -18, नौएडा।
7. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इ-12/1, सेक्टर -1, नौएडा।
8. कंप्यूटर सेक्शन, नौ.वि.आ.क्षे. - बैठक के कार्यवृत्त को एनएसईजेड वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

: सूचनार्थ



नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

(दिनांक 24/02/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)

श्री ए बिपिन मेनन, विकास आयुक्त नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अध्यक्षता में दिनांक 24/02/2025 को सुबह 10:30 हाइब्रिड मोड के माध्यम से आयोजित नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) की अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त।

A. बैठक के दौरान अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे:-

1. श्री सुरेन्द्र मलिक, संयुक्त विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) (पत्र दिनांक 23/09/2008 के अनुसार वाणिज्य विभाग के नामिती)
2. श्री सैबल रॉय, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नौएडा आयुक्तालय।
3. श्रीमती हेमलता हेदाऊ, सहायक डीजीएफटी, अपर विदेश व्यापार महानिदेशालय, कार्यालय सीएलए, नई दिल्ली।
4. श्री विशम्भर झा, आयकर अधिकारी, आयकर विभाग नौएडा।
5. श्री विनय कुमार, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, नौएडा के प्रतिनिधि।
6. श्री मयंक कुमार, सहायक प्रबंधक, डीआईसी, नौएडा (प्रमुख सचिव, उद्योग, उत्तर प्रदेश सरकार का प्रतिनिधि)

B. इसके अलावा, बैठक के दौरान (i) किरण मोहन मोहदिकर, उप विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (ii) रविकेश त्रिपाठी, निर्दिष्ट अधिकारी, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र और (iv) भारत भूषण, सहायक, परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे। यह बताया गया कि बैठक आयोजित करने के लिए निर्धारित गणपूर्ति उपलब्ध है और बैठक आगे बढ़ सकती है।

C. प्रारंभ में अध्यक्ष ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। एक संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची को क्रमिक रूप से लिया गया। अनुमोदन समिति के सदस्यों के साथ-साथ आवेदकों/इकाइयों के प्रतिनिधियों के बीच विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सर्वसम्मति से निम्नलिखित निर्णय लिए गए:-

D. कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर मदवार निर्णय:

(1) दिनांक 07/02/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत्त का अनुसमर्थन।

अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि 07/02/2025 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध न तो कोई संदर्भ था और न ही कोई आपत्ति थी। इसलिए, अनुमोदन समिति ने इसका संज्ञान लिया और तदनुसार, 07/02/2025 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त को अनुमोदन समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदित किया गया।

(2) एएफ फेरारी सिक्वोर लॉजिस्टेक प्राइवेट लिमिटेड- नई इकाई की स्थापना।

2.1. आवेदक कंपनी की ओर से श्री दाऊजी गुप्ता, महाप्रबंधक और श्री आशीष कुमार वर्मा, वरिष्ठ प्रबंधक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

2.2. यह बताया गया कि आवेदन में कुछ कमियाँ पाई गई हैं, जिन्हें आवेदक द्वारा ठीक किया जाना अपेक्षित है।

2.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, भण्डारण सेवाओं के लिए नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) में मुक्त व्यापार भण्डारण क्षेत्र (एफटीडब्ल्यूजेड) इकाई स्थापित करने के लिए मेसर्स एएफ फेरारी सिक्क्योर लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्तावित उत्पादों के लिए अनुमोदन कार्यसूची के साथ संलग्न सूची के अनुसार प्रदान किया गया, सिवाय आईटीसी एचएस कोड 9101, 9111, 9113, 9114, 9608 और अध्याय 71 के अंतर्गत आने वाले उत्पादों के। यह अनुमोदन कार्यसूची/फाइल में देखे गए दस्तावेजों/सूचनाओं के प्रस्तुतीकरण के अधीन होगा। अनुमोदन समिति ने विकास आयुक्त, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) के कार्यालय को इकाई द्वारा उठाई गई कमियों के आधार पर फाइल पर अनुमोदन पत्र (एलओए) जारी करने के लिए अंतिम निर्णय लेने का अधिकार दिया।

(3) पीसी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण। अधिकृत संचालन में संशोधन और प्रदर्शन की निगरानी।

3.1. मेसर्स पीसी यूनिवर्सल प्राइवेट लिमिटेड की अधिकृत प्रतिनिधि श्रीमती रश्मि आनंद वर्चुअल रूप से बैठक में शामिल हुईं और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि कुल लंबित प्राप्त 5118.15 लाख रुपये में से लगभग 50 करोड़ रुपये का भुगतान प्राप्त हो चुका है और शेष भुगतान 31 मार्च 2025 से पहले प्राप्त होने की उम्मीद है।

3.2. अनुमोदन समिति ने पाया कि इकाई ने 2020-21 के दौरान निर्धारित मूल्य संवर्धन हासिल नहीं किया है। इसके अलावा, यह बताया गया कि आवेदन में कुछ कमियाँ देखी गई हैं जिन्हें आवेदक द्वारा ठीक किया जाना आवश्यक है।

3.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी के प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्णय लिया। इसके अलावा, समिति ने लंबित निर्यात आय और ब्लॉक अवधि में प्राप्त मूल्य संवर्धन (भारतीय रुपये और अमेरिकी डॉलर में) के विवरण के बारे में जानकारी प्राप्त करने का निर्देश दिया, जिसे सीए द्वारा विधिवत प्रमाणित किया गया हो, साथ ही यह भी बताया गया हो कि वे अगले ब्लॉक के लिए निर्धारित न्यूनतम मूल्य संवर्धन को कैसे पूरा करेंगे। अनुमोदन समिति ने इकाई से आवश्यक दस्तावेज/सूचना प्राप्त करने और परियोजना अनुभाग द्वारा उसकी जांच करने के बाद प्रस्ताव को अपनी अगली बैठक में रखने का निर्देश दिया।

(4) डिलिजेंट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड- बांड-सह कानूनी वचनबद्धता की स्वीकृति।

4.1. मेसर्स डिलिजेंट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक श्री राकेश त्रिखा अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और मामले की व्याख्या की। उन्होंने अनुमोदन समिति को सूचित किया कि उन्होंने मेसर्स श्रीकरम प्रिसेंस प्राइवेट लिमिटेड के घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र (DTA) ग्राहकों अर्थात् मेसर्स रहमत ओवरसीज और मेसर्स सक्सेस माइंड के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, जिन्होंने सीमा-शुल्क के पास जमा करने के लिए सीओओ और बैंक गारंटी जैसे फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए थे।

4.2. अनुमोदन समिति का मानना था कि सीमा-शुल्क अधिकारियों के पास दाखिल करने से पहले ग्राहकों द्वारा प्रदान किए गए दस्तावेजों की उचित जांच और सत्यापन करना सीएचए की जिम्मेदारी है। इसके अलावा, अनुमोदन समिति ने पाया कि मामला नोएडा सीमा-शुल्क के अधिकार क्षेत्र में है और इस पर अभी फैसला होना बाकी है।

4.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और इकाई के प्रतिनिधियों की बात सुनने तथा उचित विचार-विमर्श के बाद मेसर्स डिलिजेंट लॉजिस्टिक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड के बांड-सह कानूनी (बीएलयूटी) की स्वीकृति के प्रस्ताव को स्थगित कर दिया। इसके अलावा, यह निर्णय लिया गया कि नोएडा सीमा-शुल्क द्वारा उक्त मामले में न्यायनिर्णयन आदेश जारी होने तक प्रतीक्षा की जाए। साथ ही, अनुमोदन समिति ने यह भी निर्देश दिया कि इस बीच परियोजना अनुभाग विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ) अधिनियम और नियमों के प्रावधानों के अनुसार मामले में आगे की कार्रवाई निर्धारित करने के लिए कानूनी राय प्राप्त करे।

(5) कैडेंस डिजाइन सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड- स्वीकृति पत्र (LOA) में अधिकृत संचालन का विस्तार।

5.1. मेसर्स कैडेंस डिजाइन सिस्टम्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड के अधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रवीण सिंह अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव को समझाया।

5.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, इकाई के अधिकृत संचालन में "सॉफ्टवेयर विकास और आईटी/आईटीईएस (क्लाउड सेवाओं सहित)" के रूप में संशोधन को मंजूरी दी।

(6) सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करना और कंपनी के निदेशकों और शेयरधारिता स्वरूप में परिवर्तन।

6.1. एमएलएस सहस्रा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस लिमिटेड के महाप्रबंधक श्री सुशी कुमार अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की।

6.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद निर्यात/निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) अनुमानों में संशोधन के साथ स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत संचालन को शामिल करने के लिए इकाई के अनुरोध को मंजूरी दे दी।

6.3. अनुमोदन समिति ने निर्देश संख्या 109 दिनांक 18/10/2021 के अनुसार और उसके अधीन कंपनी के निदेशक और शेयरधारिता स्वरूप में हुए बदलावों पर भी ध्यान दिया।

(7) सहसा इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशंस लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत प्रचालनों का समावेश।

7.1 श्री सुशील कुमार, महाप्रबंधक, सहसा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए तथा प्रस्ताव की व्याख्या की।

7.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की तथा उचित विचार-विमर्श के पश्चात निर्यात/ निवल विदेशी मुद्रा (एनएफई) अनुमानों में संशोधन के साथ स्वीकृति पत्र (LOA) में अतिरिक्त अधिकृत प्रचालनों को शामिल करने के लिए इकाई के अनुरोध को अनुमोदित किया। अनुमोदन, विनिर्माण की प्रस्तावित अतिरिक्त वस्तुओं के लिए आवश्यक कच्चे माल तथा पूंजीगत वस्तुओं का विवरण प्रस्तुत करने के अधीन है।

(8) शिनपाक ओवरसीज एक्सपोर्टर्स - साझेदारों में परिवर्तन और उनका लाभ/हानि अनुपात

8.1 इकाई से कोई भी व्यक्ति बैठक में उपस्थित नहीं हुआ।

8.2. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद, प्रस्ताव को स्थगित कर दिया और परियोजना अनुभाग, नौएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र (NSEZ) को निर्देश दिया कि वे पहले इकाई से सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करें और अनुमोदन समिति में रखने से पहले फाइल पर इसकी जांच करें।

(9) आयनिक रिसर्च लिमिटेड - स्वीकृति पत्र (LOA) का नवीनीकरण और प्रदर्शन की निगरानी।

9.1 इकाई के अधिकृत प्रतिनिधि श्री सलीश मेहता अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए और प्रस्ताव की व्याख्या की। उन्होंने बताया कि उनकी कंपनी सुश्री लोनिक इनोवेशन ने इलेक्ट्रिक वाहन डिजाइन किए हैं, जिनका उपयोग महाकुंभ 2025 में किया जाएगा और उन्हें कुंभ 2028 के लिए इलेक्ट्रिक बसों के डिजाइन के लिए भी नियुक्त किया गया है। उन्होंने आगे बताया कि इलेक्ट्रिक बसों के डिजाइन और निर्माण के लिए उनका ग्रीनसेल मोबिलिटी, अंटार्कटिका एफईवी, आजाद कोच जैसी कुछ कंपनियों के साथ समझौता है। उन्होंने समिति को यह भी बताया कि उनका ब्राजील के रियो महोत्सव के लिए ईवी के डिजाइन और निर्माण के लिए गो एनी टाइम, लंदन के साथ भी समझौता है।

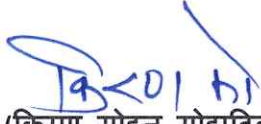
9.2. अनुमोदन समिति ने पाया कि आज की तिथि तक इकाई पर 14,11,477/- रुपए का पट्टा किराया बकाया है।

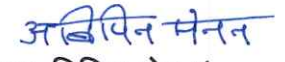
9.3. अनुमोदन समिति ने कार्यसूची पर विस्तार से चर्चा की और उचित विचार-विमर्श के बाद प्रस्ताव को स्थगित करने का निर्णय लिया तथा इकाई को निर्देश दिया कि वह पहले बकाया पट्टा किराया

चुकाए तथा स्वीकृति पत्र (LOA) के नवीनीकरण पर आगे विचार करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत करें:-

- i. इलेक्ट्रिक वाहनों के डिजाइन, विनिर्माण के लिए किसी भी सरकार या किसी भी विदेशी महोत्सव संस्था के साथ समझौते की प्रतिलिपि।
- ii. इलेक्ट्रिक बसों के डिजाइन और निर्माण के लिए ग्रीनसेल मोबिलिटी, अंटार्कटिका एफईवी, आजाद कोच के साथ समझौते की प्रतियां।
- iii. कुंभ मेला 2025 के लिए बस निर्माताओं/आपूर्तिकर्ताओं के साथ समझौते की प्रतियां।
- iv. वित्त वर्ष 2022-23 और 2023-24 के लिए वार्षिक वार्षिक रिपोर्ट।

बैठक अध्यक्ष को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।


(किरण मोहन मोहादिकर)
उप विकास आयुक्त


(ए. बिपिन मेनन)
विकास आयुक्त